

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव फर्द अहकाम (नियम-26)
 अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
गिरधरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत, निवासी केसरपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		गोमीदेवी पत्नी बलवंतसिंह जाति रावणा राजपुत, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188, 209)

मुकदमा नम्बर 32/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

11.03.2022

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 15.04.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव

08.04.22

अधिवक्ता बृजमोहन बुनावत द्वारा प्रतिवादी सभों की ओर से बकालतनामा व जर्नल पत्र त्वरीत सुनवाई का पेश कर पत्रावली तलब करने के निर्देश पर पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई।

वादी अधिवक्ता उपस्थित। त्वरीत सुनवाई के जर्नल पत्र की प्रति वादी अधिवक्ता को दिखाई जाकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आइन्दा दिनांक 21.04.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव

21.04.22

पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सभों के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सभों के जवाब व शेष की तलब हेतु आईन्दा दिनांक 27.4.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सेवामे

15/05/2025

पन्नाबली पेयम डूरी बादी एवं बादी के
वकील अनु उपस्थित ।

प्रीतिवाणी गण के आदेशवत् 540। बादी को
शुद्ध - शुद्ध तीन बार पंचद - पंचद आवाज
दिलाई गई बाबजूद सूचना अनु उपस्थित
रहने के कारण बादी का वाद अप्रम दायी
एवं अप्रम पैरवी में शर्तीय किया
जाया है ।

पन्नाबली फैसल नुमांर दोडर सं
नम्बर से कम दोडर दायिल दायर हो

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव